

## परिपत्र :-

विभागीय आदेश क्रमांक एफ 1(7)(01)एसीआर/सान्याअवि/2018/174-300 जयपुर दिनांक 03.04.2018 का अतिक्रमण किया जाकर निदेशालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/बाल अधिकारिता /विशेष योग्य जन में अलग-अलग पदों पर निदेशालय में पदस्थापित विभागीय/अन्यसेवा के अधिकारियों /कर्मचारियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की पूर्ति हेतु चैनल निर्धारित किया जाता है, निर्धारित चैनल वर्ष 2018-19 से प्रभावी होगा :-

| क्र.सं. | पद नाम  | प्रतिवेदक अधिकारी  | समीक्षक अधिकारी  | स्वीकारकर्ता अधिकारी   |
|---------|---|--|--|--|
| 1.      | अतिरिक्त निदेशक/<br>संयुक्त निदेशक(विभागीय) /<br>उपनिदेशक(विभागीय) /<br>सहायक निदेशक (विभागीय)<br>सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता<br>विभाग/ बाल अधिकारिता एवं<br>विशेष योग्य जन                                     | आयुक्त/ निदेशक सामाजिक<br>न्याय एवं अधिकारिता<br>विभाग/<br>बाल अधिकारिता एवं विशेष<br>योग्यजन  | अतिरिक्त मुख्य सचिव<br>/प्रमुख शासन सचिव<br>सामाजिक न्याय एवं<br>अधिकारिता विभाग/<br>बाल अधिकारिता एवं<br>विशेष योग्य जन | अतिरिक्त मुख्य सचिव<br>/प्रमुख शासन सचिव<br>सामाजिक न्याय एवं<br>अधिकारिता विभाग/<br>बाल अधिकारिता एवं<br>विशेष योग्य जन |
| 2.      | उपनिदेशक (विभागीय) /<br>सहायक निदेशक (विभागीय)<br>सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता<br>विभाग/ बाल अधिकारिता एवं<br>विशेष योग्य जन   | अतिरिक्त निदेशक/ संयुक्त<br>निदेशक/ उपनिदेशक /<br>सहायक निदेशक (यूनिट<br>प्रभारी) सामाजिक न्याय एवं<br>अधिकारिता विभाग/ बाल<br>अधिकारिता एवं विशेष योग्य<br>जन         | आयुक्त/ निदेशक<br>सामाजिक न्याय एवं<br>अधिकारिता विभाग/<br>बाल अधिकारिता एवं<br>विशेष योग्यजन                            | अतिरिक्त मुख्य सचिव<br>/प्रमुख शासन सचिव<br>सामाजिक न्याय एवं<br>अधिकारिता विभाग/<br>बाल अधिकारिता एवं<br>विशेष योग्य जन |
| 3.      | जिला परीक्षा एवं समाज<br>कल्याण अधिकारी/ परीक्षा<br>एवं कारागृह कल्याण अधिकारी<br>(विभागीय) सामाजिक न्याय<br>एवं अधिकारिता विभाग/ बाल<br>अधिकारिता एवं विशेष योग्य<br>जन  | अतिरिक्त निदेशक/ संयुक्त<br>निदेशक/ उपनिदेशक<br>/सहायक निदेशक<br>(यूनिट प्रभारी) सामाजिक<br>न्याय एवं अधिकारिता<br>विभाग/ बाल अधिकारिता<br>एवं विशेष योग्य जन          | आयुक्त/ निदेशक<br>सामाजिक न्याय एवं<br>अधिकारिता विभाग/<br>बाल अधिकारिता एवं<br>विशेष योग्यजन                            | आयुक्त/<br>निदेशक सामाजिक<br>न्याय एवं अधिकारिता<br>विभाग / बाल<br>अधिकारिता एवं विशेष<br>योग्य जन                       |
| 4.      | संस्थापन अधिकारी /<br>प्रशासनिक अधिकारी<br>/अतिरिक्त प्रशासनिक<br>अधिकारी/ सहायक<br>प्रशासनिक अधिकारी /वरिष्ठ<br>सहायक /कनिष्ठ सहायक<br>सामाजिक न्याय एवं<br>अधिकारिता विभाग/ बाल<br>अधिकारिता एवं विशेषयोग्यजन | अतिरिक्त निदेशक/<br>संयुक्त निदेशक/<br>उपनिदेशक/सहायक<br>निदेशक (यूनिट/प्रशाखा<br>प्रभारी)सामाजिक न्याय एवं<br>अधिकारिता विभाग/ बाल<br>अधिकारिता एवं विशेष<br>योग्य जन | अतिरिक्त निदेशक<br>(प्रशासन)<br>सामाजिक न्याय एवं<br>अधिकारिता विभाग/<br>बाल अधिकारिता एवं<br>विशेष योग्य जन             | आयुक्त/ निदेशक<br>सामाजिक न्याय एवं<br>अधिकारिता विभाग/<br>बाल अधिकारिता/<br>विशेष योग्य जन                              |
| 5.      | निजी सचिव / वरिष्ठ निजी<br>सहायक / निजी सहायक/<br>आशुलिपिक सामाजिक न्याय<br>एवं अधिकारिता विभाग/ बाल<br>अधिकारिता एवं विशेष<br>योग्यजन  | आयुक्त/ निदेशक<br>सामाजिक न्याय एवं<br>अधिकारिता विभाग/<br>बाल अधिकारिता/<br>विशेष योग्य जन<br>(प्रभारी अधिकारी)   | आयुक्त/ निदेशक<br>सामाजिक न्याय एवं<br>अधिकारिता विभाग/<br>बाल अधिकारिता/<br>विशेष योग्य जन                              | अतिरिक्त मुख्य सचिव<br>/प्रमुख शासन सचिव<br>सामाजिक न्याय एवं<br>अधिकारिता विभाग/<br>बाल अधिकारिता एवं<br>विशेष योग्य जन |

|   |  |  |   |  |
|---|--|--|---|--|
| 6 | निजी सचिव / वरिष्ठ निजी सहायक / निजी सहायक / आशुलिपिक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग / बाल अधिकारिता एवं विशेष योग्यजन                     | अतिरिक्त निदेशक / संयुक्त निदेशक / उपनिदेशक / सहायक निदेशक (यूनिट / प्रशाखा प्रभारी), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग / बाल अधिकारिता एवं विशेष योग्य जन                   | अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग / बाल अधिकारिता एवं विशेष योग्य जन  | आयुक्त / निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग / बाल अधिकारिता / विशेष योग्य जन |
| 7 | वरिष्ठ लेखाधिकारी / सहायक लेखाधिकारी / लेखाधिकारी-1 एवं / कनिष्ठ लेखाकार / सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग / बाल अधिकारिता एवं विशेष योग्यजन | वित्तीय सलाहकार / अतिरिक्त निदेशक / संयुक्त निदेशक / उपनिदेशक / सहायक निदेशक (यूनिट / प्रशाखा प्रभारी), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग / बाल अधिकारिता एवं विशेष योग्य जन | अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग / बाल अधिकारिता एवं विशेष योग्य जन | वित्त / निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग   |
| 8 | प्रोग्रामर / सहायक प्रोग्रामर / सूचना सहायक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग / बाल अधिकारिता एवं विशेष योग्यजन                                | वित्तीय सलाहकार / अतिरिक्त निदेशक / संयुक्त निदेशक / उपनिदेशक / सहायक निदेशक (यूनिट / प्रशाखा प्रभारी) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग / बाल अधिकारिता एवं विशेष योग्य जन  | अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग / बाल अधिकारिता एवं विशेष योग्य जन | आयुक्त सूचना एवं प्रौद्योगिक विभाग   |
| 9 | सांख्यिकी अधिकारी / सहायक सांख्यिकी अधिकारी / संगणक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग / बाल अधिकारिता एवं विशेष योग्यजन                        | वित्तीय सलाहकार / अतिरिक्त निदेशक / संयुक्त निदेशक / उपनिदेशक / सहायक निदेशक (यूनिट / प्रशाखा प्रभारी) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग / बाल अधिकारिता एवं विशेष योग्य जन  | अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग / बाल अधिकारिता एवं विशेष योग्य जन  | निदेशक, सांख्यिकी विभाग  |

(जे.सी.महान्ता)  
अतिरिक्त मुख्य सचिव

क्रमांक एफ 1(7)(01)एसीआर/सान्याअवि/2018/5022-5522

जयपुर, दिनांक : 01-5-2018


प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव उप सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. शासन सचिव, कार्मिक विभाग (क-1/गो.प्र) शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग / सांख्यिकी विभाग / प्रौद्योगिक विभाग / सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।

(2/3)

E/DPC/DPC/Orderos

5. निजी सचिव, निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग/सांख्यिकी विभाग/प्रौद्योगिक विभाग /सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/बाल अधिकारिता/विशेष योग्यजन, जयपुर
6. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक, (प्रशासन/सामाजिक सुरक्षा/अनुसूचित जाति, जनजाति कल्याण) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/बाल अधिकारिता /विशेष योग्यजन, राजस्थान जयपुर।
7. निजी सचिव, आयुक्त एवं निदेशक, सूचना एवं प्रौद्योगिक विभाग/निदेशक कोष एवं लेखा विभाग/निदेशक सांख्यिकी विभाग, जयपुर।
8. वित्तीय सलाहकार /अतिरिक्त निदेशक (लेखा /सांख्यिकी), यूनिट प्रभारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/बाल अधिकारिता /विशेष योग्यजन, राजस्थान जयपुर।
9. उपनिदेशक/सहायक निदेशक /जिला परिचीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी/अधीक्षक गृह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/बाल अधिकारिता /विशेष योग्यजन, मु।
10. संबधित यूनिट/प्रशाखा प्रभारी /प्रशासनिक अधिकारी /कार्यालय अधीक्षक कम सहायक प्रशासनिक अधिकारी (संस्थापन/सामान्य) /लेखाकार भुगतान प्रशाखा, मुख्यावास।
11. संस्थापन प्रशाखा (पी. 1, 2, 3, 4 एवं 5)/डीपीसी/जांच प्रशाखा, मुख्यावास को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. संबधित श्री/श्रीमती .....सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/बाल अधिकारिता /विशेष योग्यजन, मुख्यावास।
13. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यावास को विभागीय वेबसाइट पर संधारित किये जाने हेतु।
14. आदेश पत्रावली।

  
 निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

(3/3)